

भू-अभिलेख रतलाम

साधिकार अभियान के अन्तर्गत राजस्व विभाग की योजना

1. भू-अधिकार ऋण पुस्तिका वितरण
2. भू-अधिकार पत्र जारी करना
3. फौती नामान्तरण
4. बी.पी.एल. सूची में नाम जोडना

एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋणपुस्तिका का वितरण

हितग्राही की पात्रता —

वह भूमि स्वामी जिसका खसरा अभिलेख में भूमिस्वामी, शासकीय पट्टेदार/ सेवाखातेदार/ भुदानधारक के रूप में नाम दर्ज हो।

आवेदन की प्रक्रिया —

प्रथम बार एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋणपुस्तिका प्राप्त करने हेतु

आवश्यक दस्तावेज -

आवेदन, खसरा एवं बी-1 की नकल, शपथ पत्र, निर्धारित शुल्क

डुप्लीकेट एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋणपुस्तिका प्राप्त करने हेतु

आवश्यक दस्तावेज -

आवेदन, खसरा एवं बी-1 की नकल, शपथ पत्र, संबंधित क्षेत्र के बैको का नोडयूज प्रमाण पत्र, निर्धारित शुल्क

भू-अधिकार पत्र जारी करना

हितग्राही की पात्रता -

ग्राम आबादी में निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास जिस भूमि वह निवास कर रहा है, उसका दस्तावेज नहीं है। यदि पूर्व से भूमि प्रमाण पत्र पिता/माता/भाई/बहन के नाम पर है तो शपथ पत्र में सहमति के आधार पर

आवश्यक दस्तावेज -

आवेदन, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र व राशन कार्ड

फौती नामान्तरण

हितग्राही की पात्रता -

ग्राम/कस्बा के खसरा अभिलेख में दर्ज वह व्यक्ति जिसका ग्राम/कस्बा की भूमि में भूमिस्वामी/पट्टेदार भूदान धारक के रूप में हो।

आवश्यक दस्तावेज -

आवेदन, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, शपथ पत्र

बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ना

हितग्राही की पात्रता -

ग्राम /कस्बे में निवासरत वह व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड हो तथा जो निर्धारित प्रारूप अनुसार पात्रता रखता हो।

आवश्यक दस्तावेज -

आवेदन पत्र, राशनकार्ड की प्रति,